

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (30) वन/98/पार्ट

जयपुर, दिनांक 6.10.03

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20.12.02 द्वारा वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 6 के प्रावधानानुसार राज्य वन्य प्राणी सलाहकार मण्डल का पुर्नगठन किया गया था किन्तु अब वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 में संशोधन हो जाने के फलस्वरूप वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा 6 के तहत प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य वन्य प्राणी सलाहकार मण्डल का निम्नांकित अनुसार तत्काल प्रभाव से गठन किया गया है।

क्र.सं.	नाम पद	सलाहकार मण्डल में पद	धारा/उपधारा जिसके अन्तर्गत नियुक्ति की गई
1	मुख्य मंत्री राजस्थान	अध्यक्ष	6(1)ए
2	मंत्री वन विभाग, राजस्थान	उपाध्यक्ष	6(1)बी
3	राज्य विधान सभा के तन सदस्य इनका मनोनयन अध्यक्ष विधान सभा की अनुमति के बाद किया जावेगा।	सदस्य	6(1)सी
4	वन्यजीवों से सम्बद्ध गैर सरकारी संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि 1 डा.प्रकाश बाकरे, प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर पर्यावरण प्रतिनिधि, प्रयावरण प्रहरी 2 श्री राकेश व्यास, कोआ (प्रतिनिधि हाडोती नेचुरल हिस्ट्री सोसयटी 3. श्री शान्तनु कुमार (प्रतिनिधि सिद्धार्थ सिंह नेचुरल हिस्ट्री ट्रस्ट)	सदस्य	6(1)डी
5	राज्य के प्रमुख संरक्षणविद (Conservationist) पारिस्थितिकीय विज्ञानी (Ecologist) एवं पर्यावरणविद् (Environmentalist) दस व्यक्ति जिनमें से न्यूनतम दो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होंगे 1 श्री भरत सिंह पूर्व विधायक, झालावाड 2 श्री राजकुमार मथुर, एडवोकेट, सिविल लाइन बूंदी 3 श्री वाई.डी.सिंह, भूतपूर्व वनाधिकारी 4 श्री दर्शन कुमार विश्नोई, अध्यक्ष विश्नोई सभा, जयपुर 5 श्री राजपाल सिंह, पत्रकार, जयपुर 6 श्री दिव्य भानू सिंह, चावडा डिफेन्स कॉलोनी, जयपुर	सदस्य	6(1)ई
		सदस्य	6(1)ई